राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

46वीं बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2013 से संबंधित कार्य बिन्दु

क्र.सं..	कार्य बिन्दु	कृत कार्रवाई
1	भारतीय रिजर्व बैंक के नीति निर्देशों के अनुरुप उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक आपदाग्रस्त क्षेत्रों के वर्तमान बैंक ऋणियों के खातों में एक वर्ष के लिये मांग / वसूली पूर्णतः स्थगित कर, ऋण खातों को रिस्ट्रक्चर किया जाये तथा उन्हें मोरोटोरियम अवधि का लाभ दिया जाये और साथ ही साथ उनके पुनर्वासन हेतु बैंक उन्हें नये ऋण प्रदान करें। **(कार्रवाई – समस्त बैंक)**	
2	**i)** उत्तराखंड के 3 चयनित जिलों (टिहरी, चम्पावत एवं बागेश्वर) में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) से संबंधित लाभार्थियों के खाते बैंकों द्वारा नहीं खोले जा सके हैं क्योंकि शासन से प्राप्त लाभार्थियों की सूची में त्रुटियाँ पायी गयीं हैं। **ii)** राज्य सरकार से अनुरोध है कि टिहरी, चम्पावत एवं बागेश्वर जिलों में जनसाधारण को प्राथमिकता के आधार पर "एन0पी0आर0 संख्या / आधार कार्ड " उपलब्ध करायें ताकि उसे बैंक खातों से जोड़ने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सके। **(कार्रवाई – राज्य सरकार / संबंधित बैंक)**	
3	उत्तराखंड शासन से अनुरोध है कि डी0बी0टी0 के अंतर्गत जिन 8 योजनाओं के लाभार्थियों का डाटाबेस तैयार हैं, उसे संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक को उपलब्ध करायें ताकि बैंक शाखाओं में जिन लाभार्थियों के खाते नहीं खुले हैं उन्हें खुलवाया जा सके। **(कार्रवाई – राज्य सरकार / अग्रणी जिला प्रबंधक / संबंधित बैंक)**	

<table>
<tr><td>4</td><td>सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, यूको बैंक, विजया बैंक, इण्डियन बैंक एवं आई0डी0बी0आई0 बैंक का ऋण-जमा अनुपात बहुत कम है, जिसे बढ़ाने हेतु विशेष कदम उठाये जायें। सभी बैंक पहाड़ी जिलों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु नई संभाव्यताओं का पता लगाएं और उस मद हेतु नए उद्यमियों को सरलातपूर्वक ऋण उपलब्ध कराएं।

(कार्रवाई समस्त बैंक नियंत्रक / अग्रणी जिला प्रबंधक)</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>प्रायोजित बैंक (एस0बी0आई0) को आर-सेटी संस्थान स्थापित करने हेतु उत्तरकाशी एवं चम्पावत में राज्य सरकार से अनुरोध है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार, भूमि उपलब्ध कराई जाए।

(कार्रवाई – सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / संबंधित जिलाधिकारी / संबंधित निदेशक, आरसेटी)</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>बैंकों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत “क्लस्टर एप्रोच विलेज” में बैंकिंग सुविधायें पहुँचाने हेतु तीन वर्ष -- मार्च, 2013, मार्च, 2014 एवं मार्च 2015 तक की समय सीमा दी गयी है, परंतु जून, 2013 तक मात्र 997 ग्रामों को ही बैंकिंग सेवाओं से आच्छदित किया गया है। अत; वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ पिछले वर्ष के “ बैकलॉग ” (Backlog) को भी प्राप्त करें।

(कार्रवाई – संबंधित बैंक)</td><td>बैंकवार 30 सितम्बर, 2013 तक की प्रगति
बैंक का नाम ; _____

<table><tr><th>समय सीमा</th><th>क्लस्टरों की संख्या</th><th>आच्छातिद क्लस्टर</th><th>गाँव की संख्या</th><th>आच्छादित गाँव</th></tr><tr><td>मार्च, 2013</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>मार्च, 2014</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>मार्च, 2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>बी0एस0एन0एल0 से आग्रह है कि ऑन-लाइन बैंकिंग सेवाओं को राज्य के सभी</td><td></td></tr>
</table>

	निर्धारित क्लस्टर के परिधि क्षेत्र में ब्रॉड बैण्ड / वाई मैक्स सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराएं। सभी अग्रणी जिला प्रबंधक अपने जिले के मुख्य स्थान / क्षेत्र (Major areas & Pockets) में जहाँ पर कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, को चिन्हित कर बी0एस0एन0एल को सूचित करें, ताकि जनसाधारण को कम से कम मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एस0एल0बी0सी0, उत्तराखंडएवं प्रमुख बैंक कनेक्टिविटी विषय पर बी0एस0एन0एल0 के उच्चाधिकारियों के साथ अलग से बैठक करें। **(कार्रवाई बी0एस0एन0एल0/ आर0बी0आई0/एस0एल0बी0सी0/ राज्य सरकार / अग्रणी जिला प्रबंधक)**	
8	सभी बैंक अपने **" सर्विस एरिया के गाँवों "** में अभियान चलाकर प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता खोलें, न कि केवल वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आवंटित गाँवों में। **(कार्रवाई बैंक नियंत्रक / अग्रणी जिला प्रबंधक)**	
9	सभी बैंक समस्त किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दिनांक 30 सितमबर, 2013 तक **“ रु-पे डेबिट कार्ड “** उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, ताकि वे कहीं भी किसी भी बैंक के वैकल्पिक बैंकिंग माध्यम से आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कर सकें। **(कार्रवाई – समस्त बैंक)**	
10	उत्तराखंड सरकार द्वारा बैंकों को **Online creation of charge** का अधिकार देने हेतु एन0आई0सी0 के सहयोग से	

	" सॉफ्टवेयर " तैयार कर लिया गया है और सभी बैंकों की शाखाओं को " यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड " उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि वे **Online creation of charge** करने हेतु अधिकृत हो सकें। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस प्रणाली को बैंकों में लागू करने हेतु सभी बैंकों को प्रशिक्षित किया जाये। (कार्रवाई राज्य सरकार/एन0आई0सी0)	
11	राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों द्वारा जारी किए गए " **वसूली प्रमाण पत्र** " को राज्य / जिला के **Website Portal** पर " **ऑन लाइन फाइलिंग** " करने की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। (कार्रवाई राज्य सरकार/एन0आई0सी0)	
12	सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक त्रैमास जुलाई-सितम्बर, 2013 तक के **एस0एल0बी0सी0** डाटा (विवरणी **1-49**) जाँच कर दिनांक 19 अक्टूबर, 2013 तक अनिवार्य रूप से ई मेल **(agmslbc.zodeh.sbi.co.in)** द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें । (कार्रवाई सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)	

****